आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
09/03/2021	**आदेश** एस0ए0आर0 पुनरीक्षण वाद 61/97 चन्द्रनाथ साहु के द्वारा जॉन उरांव व पासकल उरांव के विरूद्ध दायर किया गया था। अपीलार्थी तथा विपक्षी कमांक 01 के मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है। मूल वाद 795/76, खाता न० 50, प्लॉट नं०–747, रकबा–6 डिसमिल अंचल माण्डर से संबंधित है। उक्त भूमि की वापसी हेतु वाद संख्या 795/1976, वाद संख्या 7/1978 तथा वाद संख्या 4/1988 दायर हुए। इन तीनों वादों को सम्मिलित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष सुनवाई हुई। उक्त आदेश के पश्चात् आयुक्त के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद 69/82 दायर हुआ। आयुक्त के द्वारा 28.08.89 को इस वाद को निम्न न्यायालय को पूनः प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर विनियम पदाधिकारी द्वारा मासो सलमी को भूमि वापसी का आदेश पारित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता रॉची के न्यायालय में अपील 8R-15/91-92 दायर किया गया जिनके द्वारा आयुक्त के आदेशानुसार पुनः सूनवाई करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 03.09.1995 को भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा भूमि के हस्तांतरण को उचित मानते हुए भूमि पर अवस्थित संरचना के लिए 75 हजार रूपये का मुआवजा तय किया गया। पूनः इस आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 69R-15/95-96 दायर किया गया, जिसमें उपायुक्त के न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.1997 को आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध यह पूनरीक्षण वाद दायर किया गया है। उपायुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है, कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। अतः भूमि अलविस उरांव अथवा अपीलार्थी यथा जॉन उरांव एवं पास्कल उरांव को किया जा सकता है। यह दोनो अपीलार्थी सलमी उरांव के पुत्र है । आवेदको का दावा है कि उपायुक्त न्यायालय द्वारा सलमी उरांव के द्वारा अलविस के पक्ष में किये गये दान पर ध्यान नही दिया गया है जो 1950 में किया गया था। जमीनदारी रिटर्न में आवेदकों का नाम दर्ज है तथा आवेदकों के नाम से	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	जमांबदी भी सृजित है। कुल 42 डिसमिल के प्लॉट में मात्र 6 डिसमिल का ही विवाद है। उपायुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि प्रश्नगत भूमि किसे वापस की जानी है। क्योंकि सलमी उरांव को प्रश्नगत भूमि Gift of Transfer के माध्यम से प्राप्त हुयी है। अतः उन्हें भूमि वापसी का दावा करने का अधिकार नही है। विपक्षी गरैया उरांव के वंशज है जिन्हे इस भूमि से कोई सरोकार नही है। प्रश्नगत भूमि का जंमाबंदी एक लम्बे समय से आवेदकों के नाम सृजित है। अतः उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अनुचित है। विपक्ष के तरफ से कहा गया आयुक्त न्यायालय द्वारा मात्र तीन बिन्दु पर निम्न न्यायालय को विवेचना हेतु आदेशित किया गया था। विपक्षी खतियानी रैयत गरैया उरांव के वंशज है। पार्टिशन सूट 1991/03-1972/80 विभिन्न रयैतों के बीच हुआ था, जिसमे आवेदक पक्षकार नही थे। यह विषय एक लम्बे समय से विचाराधीन है तथा उपायुक्त के न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष नही दिये जाने के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रश्नगत वाद विभिन्न न्यायालयों में 1976 से ही विचाराधीन रहा है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट होता है कि गरैया उरांव द्वारा दिनांक 14.04.1950 को Gift deed के माध्यम से भूमि को अपनी बहू एवं अपने दामाद को हस्तांतरित किया गया है। उपायुक्त द्वारा धारा 71A के प्रावधानों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख है कि सलमी उरांव एवं उनके पति द्वारा प्रश्नगत भूमि अलविस उरांव को हस्तांतरित की जा चुकि है। मूल भूमि वापसी वाद 1976 तथा 1978 में दायर किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा 30 वर्षों के अन्तर्गत है। प्रश्नगत भूमि स्पष्टतः 1950 तक खतियानी रैयत के दखल में थी जिनके द्वारा भूमि को दान दिया गया। आवेदकों का दावा मात्र सादा हुकूमनामा एवं जमीनदारी रिटर्न के आधार पर है। आवेदक द्वारा 1984 में जमाबंदी तैयार की गयी है जिसमें भी compensation case record होने का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु भूमि की वापसी किस पक्षकार को की जायेगी यह उपायुक्त के न्यायालय द्वारा स्पष्ट नही किया गया है।	

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

नियमतः भूमि की वापसी सलमी उरांव को होनी चाहिए किन्तु उक्त सलमी उरांव द्वारा प्रश्नगत भूमि अलवीस उरांव को दी जा चूकी है जैसा कि उपायुक्त के आदेश में उल्लेखित है। अतः भूमि की वापसी अलवीस उरांव के पक्ष में ही हो सकती है। उपायुक्त द्वारा पारीत आदेश को उक्त हद तक स्पष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उपायुक्त द्वारा पारीत अन्य आदेश यथावत रहेगा।

आयुक्त। 9/3/2004

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त। 9/3/2004

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 12:34:29 +05:30
Location: 192.168.1.40